



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2010/पौष 28, 1931

No. 31]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2010/PAUSA 28, 1931

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 37(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आर्थिक सेवा (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये 1 जनवरी, 2006 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 में,—

(क) नियम 6 के खंड (ख) में “(6,500-10,500 रुपए के वेतनमान)” कोष्ठक, अंक और शब्दों के स्थान पर, “[वेतन बैंड - 2; 9,300-34,800 धन ग्रेड वेतन: 4600 रुपए का वेतन ढांचा (6,500- 10,500 रुपए से उन्नत 7,450-11500 रुपए के पुनरीक्षित पूर्व वेतनमान के समतुल्य)]” कोष्ठक, अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अनुसूची 4 के क्रम सं. 7 के सामने कनिष्ठ समय वेतनमान से संबंधित स्तंभ (5) के अधीन “(6,500-10,500 रुपए वेतनमान)” कोष्ठक, अंक और शब्दों के स्थान पर “[वेतन बैंड - 2; 9,300-34,800 धन ग्रेड वेतन : 4600 रुपए का वेतन ढांचा (6,500-10,500 रुपए से उन्नत 7,450-11,500 रुपए के पुनरीक्षित पूर्व वेतनमान के समतुल्य)]” कोष्ठक, अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 11019/9/2008-आईईएस]

राजन कुमार, सलाहकार

टिप्पण : भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 435(अ), तारीख 6 जून, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. सा.का.नि. 648(अ), तारीख 10 सितम्बर 2008, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 753(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2008, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 350(अ), तारीख 22 मई, 2009, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 376(अ), तारीख 1 जून 2009, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 377(अ), तारीख 1 जून, 2009 और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 831(अ), तारीख 18 जून, 2009 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2010

G.S.R. 37(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Economic Service Rules, 2008, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Economic Service (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall deem to come into force on the 1st day of January, 2006.

2. In the Indian Economic Service Rules, 2008, —

(a) in rule 6, in clause (b), for the brackets, words, letters and figures “(pay scale of Rs. 6,500-10,500)”, the brackets, words, figures and letters “[pay structure of Pay Band - 2 : Rs. 9,300-34,800 plus Grade Pay: Rs. 4,600 (equivalent to the pre-revised pay scale of Rs. 7,450-11,500,

up-graded from Rs. 6,500-10,500)]” shall be substituted;

- (b) in Schedule IV, against serial number 7, relating to Junior Time Scale, under column (5), for the brackets, words, letters and figures “(scale of Rs. 6,500-10,500)”, the brackets, words, figures and letters “[pay structure of Pay Band - 2 : Rs. 9,300-34,800 plus Grade Pay: Rs. 4,600 (equivalent to the pre-revised pay scale of Rs. 7,450-11,500, up-graded from Rs. 6,500-10,500)]” shall be substituted.

[F.No.11 019/9/2008-IES]
RAJAN KUMAR, Adviser

Note :— The Indian Economic Service Rules, 2008 were published in the Gazette of India, *vide*, notification number G.S.R. 435(E), dated the 6th June, 2008 and subsequently amended, *vide*, notification number G.S.R. 648(E), dated the 10th September, 2008, notification number G.S.R. 753(E), dated the 24th October, 2008, notification number G.S.R. 350(E), dated the 22nd May, 2009, notification number G.S.R. 376 (E), dated the 1st June, 2009, notification number G.S.R. 377(E), dated the 1st June, 2009, and notification number G.S.R. 831(E), dated the 18th November, 2009.